न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट दोहली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 54 / 17 निर्णय दिनांक : 19.06.2018

उनवान

1. फातमा पत्नी नूरमोहम्मद
2. अयूब पुत्र नूर मोहम्मद
3. इलियास पुत्र नूरमोहम्मद
4. वीसर पुत्र नूरमोहम्मद
5. अख्तर हुसैन पुत्र नूरमोहम्मद जातियान मेव निवासियान मुकन्दबास तहसील रामगढ
6. बसीरी पत्नी हकमुदीन जाति मेव निवासी ग्राम कोटा खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर।

............................वादीगण

बनाम

1. समसू पुत्र जल्ली जाति मेव
2. महरून पुत्र जल्ली जाति मेव निवासी मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 159 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। जिसमें वादी सं0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा, वादी सं0 3 ला0 5 का 1/2 हिस्सा व वादी सं0 6 का 1/6 हिस्सा है। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा मौके पर शान्ति पूर्वक चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना व सम्बन्ध सरोकार किसी तरह का नही है न कभी रहा है। प्रतिवादीगण दोनो सगे भाई है, जिन्होंने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज मशवरा बना रखा है तथा वो वादीगण को उनकी खातेदारी की आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करने की कौशिश में है, जिसका प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक हांसिल नही है। विवादित आराजी तरफ उत्तर को रामगढ से बहादरपुर जाने वाली डाम्बर रोड है जिस पर होकर विवादित आराजी पर आवागमन होता है जिसमें भी प्रतिवादीगण वादीगण को बेजा रूकावट मजाहमत पैदा करते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 159 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण के कब्जे काश्त में फस्ल बोने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व न वादीगण को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करें, न ही कोई जबरन निर्माण कराये व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में तामिल बावजूद भी उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में दिनांक 19.06.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। उभयपक्ष उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में दिनांक 19.06..2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण विवादित आराजी के खातेदार है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 159 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण के कब्जे काश्त में फस्ल बोने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व न वादीगण को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करें, न ही कोई जबरन निर्माण कराये व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत दोहली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट दोहली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/54/17 निर्णय दिनांक : 19.06.2018

उनवान

1. फातमा पत्नी नूरमोहम्मद
2. अयूब पुत्र नूर मोहम्मद
3. इलियास पुत्र नूरमोहम्मद
4. वीसर पुत्र नूरमोहम्मद
5. अख्तर हुसैन पुत्र नूरमोहम्मद जातियान मेव निवासियान मुकन्दबास तहसील रामगढ
6. बसीरी पत्नी हकमुदीन जाति मेव निवासी ग्राम कोटा खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर।

...........................वादीगण

बनाम

1. समसू पुत्र जल्ली जाति मेव
2. महरून पुत्र जल्ली जाति मेव निवासी मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 159 रकबा 0.36 हैक्ट0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण के कब्जे काश्त में फस्ल बोने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व न वादीगण को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करें, न ही कोई जबरन निर्माण कराये व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)